रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932
No. 686] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 987(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ख) "निर्धारित दिन" का अर्थ है 1 अक्तूबर, 2007;

(ग) "बोर्ड" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1)के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

(घ) "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन" का अर्थ है कोई पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के अनुसार परिभाषित किया गया हो;

(ङ) "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क" का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (सांविधिक कर और शुल्क को छोड़कर) के लिए प्रशुल्क की इकाई दर प्रति मी. टन रुपए में या प्रति किलो लीटर प्रति किलो मीटर रुपए में होना, जिसमें सामान्य या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली के प्रचालन के लिए अनिवार्य भण्डारण सुविधाओं का प्रभाव शामिल हो;

(च) "टैप आफ प्वाइंट (टीओपी)" का अर्थ पाइपलाइन सुविधा से है जहां से पेट्रोलियम उत्पादों को किसी सुपुर्दगी टर्मिनल या स्पर लाइन या अन्य पाइपलाइन में अपवर्तित किया जाता है और इसे मध्यवर्ती सुपुर्दगी स्टेशन भी कहा जाएगा;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम उस कम्पनी पर लागू होंगे—

(1) जिसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत कम्पनियों संबंधी संगत विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दिन से पहले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

(2) जिसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत कम्पनियों के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत ऐसे कार्यकलापों हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित दिन से पहले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो; और

(3) जिसे एक समर्पित पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का कार्य दिया गया हो जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत कंपनियों संबंधी संगत विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित किया गया हो।

4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क का निर्धारण

विनियम 3 के खण्ड (1), खण्ड (2) या खण्ड (3) के अंतर्गत शामिल कम्पनी के संबंध में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार विभिन्न टीओपी के लिए निर्धारित किया जाएगा जो गैर-विभेदक आधार पर प्रभारित किया जाएगा:

बशर्ते कि विनियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार निर्धारित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क दो वर्ष की अवधि के लिए संक्रमण काल या इससे पूर्व समय के लिए होगा, जिस पर बोर्ड द्वारा लिखित में दिए गए वैध कारणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

5. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क के निर्धारण की पद्धति

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क को परिवहन की वैकल्पिक पद्धति अर्थात् रेल के अनुसार मानक बनाकर तय किया जाएगा, जो एलपीजी को छोड़कर पचहत्तर प्रतिशत होगा, जबकि एलपीजी के मामले में यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मार्ग सहित समकक्ष रेल दूरी के लिए ट्रेन लोड आधार पर एक सौ प्रतिशत होगा।

6. विविध

इन विनियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2009-वाल्यूम-1]

रतन पी. वातल, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2010

G.S.R. 987(E).— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "appointed day" means the date of October 1, 2007;

(c) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(d) "Petroleum and petroleum products pipeline" means any pipeline as defined in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010;

(e) "Petroleum and Petroleum products pipeline transportation tariff" means the unit rate of tariff for petroleum and petroleum products pipeline (excluding statutory taxes and levies) in rupees per metric ton or in rupees per kilo litre per kilo meter for transport of petroleum and petroleum products including the impact of storage facilities essential for operating a petroleum and petroleum product pipeline system as common or contract carrier;

(f) "tap off point (TOP)" means a facility on the pipeline from where the petroleum products are diverted into a delivery terminal or into a spur line or another pipeline which may also be called the intermediate delivery station.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Application

These regulations shall apply to an entity—

(1) authorized by the Central Government and accepted by the Board for laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum product pipelines;

(2) laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day and authorized by the Board for such activities under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum product pipelines; and

(3) laying, building, operating or expanding a dedicated pipeline which is converted into a petroleum and petroleum products pipeline under the provisions of the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum product pipelines.

4. Determination of petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff

Petroleum and petroleum products pipeline tariff in respect of an entity covered under clause (1), clause (2) or clause (3) of regulation 3 shall be determined for different TOP's as per the procedure specified in regulation 5 which shall be charged on a non-discriminatory basis:

Provided that the petroleum and petroleum product pipeline tariff determined in accordance with the procedure specified as per regulation 5 shall be applicable as a transitional measure for a period of two years or such earlier time as the Board may decide for valid reasons to be given in writing.

5. Procedure for determination of petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff

Petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff shall be determined by benchmarking against alternate mode of transport, that is, rail at a level of seventy-five per cent except LPG where it will be one hundred per cent on a train load basis for equivalent rail distance along the petroleum and petroleum product pipeline route.

6. Miscellaneous

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

[F. No. S-Admn/II/8/2009-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.